भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4110

उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

4110 श्री अमरसिंग टिस्सो :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : देशभर में प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई), जनजातीय उप-योजना और लघु वनोपज (एमएफपी) पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी प्रमुख जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में राज्यवार विस्तृत रिपोर्ट क्या है;

(ख) : विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में जनजातीय योजनाओं के लिए आबंटित निधि का प्रतिशत क्या है और इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है तथा निधियों का कुशल और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में, विशेषकर भौगोलिक रूप से कठिन अथवा सुदूर असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का समाना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों विशेषकर असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में वित्तीय सहायता और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजनाएं कार्यान्वित की है; और

(ड.) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके):

(क) से (ग) : अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन), जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) को नवस्वरूपित की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई) की छत्रछाया में कल्याणकारी योजनाएं हैं। योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक - I** में दिया गया है।

'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' योजना को 2013-14 से 2020-21 तक क्रियान्वित (लागू) किया गया था, जिसका उद्देश्य एमएफपी संग्रहकर्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करना, उनकी आय का स्तर बढ़ाना और एमएफपी की सतत कटाई सुनिश्चित करना था। बाद में इस योजना को नवस्वरूपित किया गया और इसे

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के अंतर्गत विलय कर दिया गया तथा इसका कार्यान्वयन ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन 18 राज्यों में परिचालन में है। घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज की खरीद के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित 18 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के तहत परिक्रामी निधि के रूप में 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके सापेक्ष राज्यों ने लगभग 665 करोड़ रुपये की लघु वनोपज की खरीद की है।

सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

2019-20 से आवंटित डीएपीएसटी निधि और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	डीएपीएसटी आवंटन (ब.अ.)	डीएपीएसटी आवंटन (सं.अ.)	व्यय
2019-20	51283.53	47748.83	45856.40
2020-21	52024.23	51780.82	48084.10
2021-22	78256.31	85930.47	82530.58
2022-23	87584.66	92781.15	90972.76
2023-24	117943.73	107455.64	104777.80*

* अनंतिम

डेटा स्रोत: बजट अनुमान और व्यय - व्यय प्रोफ़ाइल: वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट का विवरण 10बी। वर्ष 2023-24 के लिए एसटीसी-एमआईएस पोर्टल

असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित देश भर में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत कुशल और समय पर निधि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। वास्तविक समय पर व्यय की निगरानी और निधियों का पारदर्शी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग ट्रैकिंग पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से की जाती है। सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के मानदंडों के अनुसार निधियों को आगे जारी करने के लिए को पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को निधियां जारी करने और प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार एक एकल नोडल एजेंसी नामित करना भी आवश्यक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बाध्य मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए https://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से योजना/कार्यक्रम-वार प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी भी की जाती है।

पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन में दुर्गम क्षेत्र, उच्च संभार तंत्र लागत और सुदूर स्थानों तक सेवा प्रदायगी में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित पहुंच और डिजिटल कनेक्टिविटी, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान, पहुंच (आउटरीच) में और अधिक बाधा डालती है।

(घ) से (ड.) : जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाइयों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए उद्यम जरिए पर जोर देता है। नवंबर 2024 तक, 11.83 लाख लाभार्थियों को जोड़ने वाले 3958 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58,736.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में स्वीकृत वीडीवीके इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	**जिले**	**स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों की संख्या**	**सदस्यों की संख्या**	**स्वीकृत निधियां (लाख रुपए में)**
i)	कार्बी आंगलोंग	23	7141	345
ii)	दीमा हसाओ	15	4510	225

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) हैं। एनएसटीएफडीसी की ये योजनाएं असम राज्य सहित देश भर में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान वितरित की गई निधियों और सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक - III** में संलग्न है।

"जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री अमरसिंग टिस्सो द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4110 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पाटना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को संतृप्त करना है।

(iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX-X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों के लिए 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(iv) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(v) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि जहां पहले से टीआरआई मौजूद नहीं हैं, वहां नए टीआरआई स्थापित किए जा सकें और अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि की दिशा में अपने मुख्य उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मौजूदा टीआरआई के कार्य पद्धति को सुदृढ़ किया जा सके। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य भागों में जनजातियों के लिए आदान-प्रदान दौरे, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

"जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री अमरसिंग टिस्सो द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4110 के भाग (घ) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II

वीडीवीके का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की कुल संख्या	वीडीवीके लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (रु./लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123578	6,162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	**471**	**143309**	**7065**
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	146	43701	2174.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960
16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	259	76168	3806.55
19	नागालैंड	284	85198	4259.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	80	23381	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**3958**	**1183412**	**58,736.50**

"जनजातीय कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री अमरसिंग टिस्सो द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4110 के भाग (घ) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक III

एनएसटीएफडीसी द्वारा संवितरित ऋणों का राज्य-वार विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1127.19	2006	4119.80	13669	5551.49	27221
2	अरुणाचल प्रदेश	814.01	8143	699.90	1835	25.77	13
3	असम					**40.02**	**43**
4	बिहार	11.48	955			3.06	3
5	छत्तीसगढ़	1398.99	1107	295.69	1216	227.29	503
6	दादरा एवं नगर हवेली					4.55	6
7	गोवा					0.22	1
8	गुजरात	2022.50	11053	1019.61	5224	2810.12	11848
9	हिमाचल प्रदेश	14.00	2	56.90	120	2.19	2
10	जम्मू और कश्मीर	1362.87	410	1272.54	535	295.19	106
11	झारखंड	1422.00	15523	3.00	756	684.25	1703
12	कर्नाटक	1369.31	962	1582.42	1927	853.41	1003
13	केरल	637.30	436	720.73	666	446.74	258
14	मध्य प्रदेश	2755.00	2373	5392.05	10857	1759.58	828
15	महाराष्ट्र	209.06	7408	658.19	1204	2523.52	1528
16	मणिपुर			25.00	57	235.49	174
17	मेघालय	694.81	1883	470.60	1227	475.91	1193
18	मिजोरम	5450.68	16278	5295.74	3584	6856.69	4573
19	नागालैंड	693.36	48257	20.39	1	1199.77	771
20	ओडिशा	2457.92	30026	63.19	4337	362.35	17025
21	राजस्थान	508.60	588	789.35	1856	712.22	885
22	सिक्किम	62.56	16			34.23	27
23	तमिलनाडु	15.00	1609	1087.13	3403	3265.67	7327
24	तेलंगाना	3111.55	9355	4583.99	11861	3218.52	11369
25	त्रिपुरा	580.26	2196	48.02	20	2014.62	2234
26	उत्तर प्रदेश					3.37	4
27	उत्तराखंड			81.42	244	32.59	8
28	पश्चिम बंगाल	573.92	4515	1643.34	8393	1526.59	4486
		27292.37	**1,65,101**	**29929.00**	**72,992**	**35165.42**	**95,142**

*****